



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 2010/फाल्गुन 28, 1931

No. 525]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 2010/PHALGUNA 28, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2010

का.आ. 619(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कृत्यों, के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, या उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन सशक्त अधिकारियों द्वारा पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता प्रदान करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी में,—

- (i) क्रम संख्यांक 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

## सारणी

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक मान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"20	मैसर्स पोलूकोन लैबोरेटरीज प्रा.लि., 544, बेलजियम टावर, रिंग रोड, लीनियर बस स्टैण्ड के सामने, सूरत-395003 (गुजरात)	(1) श्री देवांग गांधी (2) श्री हर्शल गांधी (3) श्री गोविन्द पटेल	19-03-2010 से 18-03-2015";

- (ii) क्रम संख्या 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाई जाएंगी, अर्थात् :—

## सारणी

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक मान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"81	मैसर्स अनलिटिका ईकोलैब प्रा.लि., 63/1, कैलाश विहार, नजदीक आई.टी.ओ., सिटी सेन्टर-2, ग्वालियर-474011 (मध्य प्रदेश)	(1) श्री राजेश जैन (2) श्री विवेक पाराशर (3) श्री राहुल उपाध्याय	19-03-2010 से 18-03-2015";

[फा. सं. क्यू-15018/7/2003-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का. आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 1539(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2007, सं. का.आ. 1811(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2007, सं. का.आ. 55(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, सं. का.आ. 428(अ), तारीख 4 मार्च, 2008, सं. का.आ. 865(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, सं. का.आ. 1894(अ), तारीख 31 जुलाई, 2008, सं. का.आ. 2728(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2008, सं. का.आ. 1356(अ), तारीख 27 मई, 2009, सं. का.आ. 1802(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009, सं. का.आ. 2399(अ), तारीख 18 सितम्बर, 2009, सं. का.आ. 3122(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2009, सं. का.आ. 3123(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2009, सं. का.आ. 142(अ), तारीख 21 जनवरी, 2010 द्वारा संशोधन किए गए।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2010

S.O. 619(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby recognises the laboratories specified in column (2) of the Table given below as environmental laboratories to carry out the functions entrusted to such laboratories under the said Act and the rules made thereunder, and the persons specified in column (3) as Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis by the Central Government or the officer empowered under Section 11 of the said Act, for a period specified in column (4) of the Table aforesaid, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, namely :—

In the Table appended to the said notification,—

- (i) for serial number 20 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be inserted, namely :—

TABLE

Serial No.	Name of the Laboratory	Name of the Government Analyst	Recognition with effect from and valid up to
(1)	(2)	(3)	(4)
"20	M/s. Pollucon Laboratories Pvt. Ltd., 544, Belgium Towers, Ring Road, Opp. Linear Bus Stand, Surat- 395003 (Gujarat)	(1) Mr. Devang Gandhi (2) Mr. Harshal Gandhi (3) Mr. Govind Patel	19-03-2010 to 18-03-2015";

- (ii) after serial number 80 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be inserted, namely :—

TABLE

Serial No.	Name of the Laboratory	Name of the Government Analyst	Recognition with effect from and valid up to
(1)	(2)	(3)	(4)
"81	M/s. Analitika Ecolab Pvt. Ltd., 63/1, Kailash Vihar, Near ITO, City Center-II, Gwalior- 474011 (Madhya Pradesh)	(1) Mr. Rajesh Jain (2) Mr. Vivek Parashar (3) Mr. Rahul Upadhyay	19-03-2010 to 18-03-2015";

[F. No. Q-15018/7/2003-CPW ]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 1539 (E), dated the 13th September, 2007, S.O. 811(E), dated the 24th October, 2007, S.O. 55(E), dated 9th January, 2008, S.O. 428(E), dated the 4th March, 2008, S.O. 865(E), dated the 11th April, 2008, S.O. 1894(E), dated the 31st July, 2008, S.O. 2728(E), dated the 25th November, 2008, S.O. 1356(E), dated the 27th May, 2009, S.O. 1802(E), dated the 22nd July, 2009 and S.O. 2399(E), dated the 18th September, 2009 and S.O. 3122(E), dated the 7th December, 2009 and S.O. 3123(E), dated the 7th December, 2009, S.O. 142(E), dated the 21st January, 2010.